न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 23 / 2017

1 हरिराम उर्फ हरजीराम पुत्र लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नौरंगा पुत्र लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र गुल्लाराम।
3 मनकोरी देवी पत्नी गुल्लाराम।
4 सोहनलाल पुत्र हेमाराम।
5 सुरेश पुत्र हेमाराम।
6 खांगाराम पुत्र रूड़ाराम।
7 जीवणराम पुत्र रूड़ाराम।
8 बोदूराम पुत्र रूड़ाराम।
9 शिवकरण पुत्र रूड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण डालमास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिलासीकर।
11 उप पंजियक तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी हल्का भोजासर बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर कैम्प पाटोदा
पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस
दावा संख्या 07/2011 उनवानी हरिराम उर्फ हरजीराम
बनाम नौरंगा आदि दिनांकित 08.07.2015

उपस्थिति :

1. श्री सुमित गौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हरफुल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 07.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2011 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा उदघोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 30, वाके ग्राम डालमास, खसरा नम्बर 7/3,7/4,27 वाके ग्राम भोजासर छोटा के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 25.05.2015 तक जवाब दावा में नियत चल रही थी। दिनांक 08.07.2015 को विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय व डिक्री बिना सुनवाई के पारित कर दिया है। अपीलांट ने जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा उदघोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 30, वाके ग्राम डालमास, खसरा नम्बर 7/3,7/4,27 वाके ग्राम भोजासर छोटा के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 25.05.2015 तक जवाब दावा में नियत चल रही थी। दिनांक 08.07.2015 को विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री बिना सुनवाई के पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, साक्ष्य लिये बिना, तनकी कायम किये बिना विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट का था वादी अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया गया है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट को किसी प्रकार की हानि नही हो रही है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया है। अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर. सी. 1995 पेज 295, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 535, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 851, आर.आर.डी. 1998 पेज 639, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 168 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा उदघोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 30, वाके ग्राम डालमास, खसरा नम्बर 7/3,7/4,27 वाके ग्राम भोजासर छोटा के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 25.05.2015 तक जवाब दावा में नियत चल रही थी। दिनांक 08.07.2015 को विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री बिना सुनवाई के पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, साक्ष्य लिये बिना, तनकी कायम किये बिना विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया की पालना कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर